


# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस0 बी0 सिविल याचिका संख्या 18844/2019 सुखराम बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2020 द्वारा याचिकार्थी श्री सुखराम की याचिका को बलहीन व सारहीन होने के आधार पर खारिज होने के उपरांत माननीय न्यायालय निर्णय की अनुपालना में निजी प्रत्यर्थी संख्या 04 श्रीमती गुलाब चौधरी व्याख्याता (रसायन विज्ञान) राउमावि, उगरपुरा, कुचामान नागौर को पुनः डाईट कुचामन, नागौर एवं याचिकार्थी श्री सुखराम को डाईट, कुचामन, नागौर से राउमावि, उगरपुरा, नागौर पदस्थापित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवे।

  
(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान


बीकानेर

दिनांक:- 05/03/2020

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-1/रजीगृ/गुलाब चौधरी/को.के/19-20

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, जोधपुर।
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य.....।
9. संबंधित कार्मिक.....।
10. गार्ड पंजिका।

  
संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर